मैसर्स स्टील सेल्स, श्री अनिल कुमार टिकरीवाल, स्टेशन रोड, बहराइच जनपद–बहराइच द्वारा ग्राम–उधिया, गाटा संख्या–498 झ, खण्ड–1,तहसील–रामनगर, जनपद–बाराबंकी (कुल क्षेत्रफल 12.0 हेक्टेयर) में घाघरा नदी से बालू खनन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बाराबंकी की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर दिनांक 27.10.2018 को सम्पन्न हुई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त ।

मैसर्स स्टील सेल्स, श्री अनिल कुमार टिकरीवाल, स्टेशन रोड, बहराइच जनपद–बहराइच द्वारा ग्राम–उधिया, गाटा संख्या–498 झ, खण्ड–1,तहसील–रामनगर, जनपद–बाराबंकी (कुल क्षेत्रफल 12.0 हेक्टेयर) में घाघरा नदी से 2,16,000 घनमी0 प्रतिवर्ष बालू खनन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आम सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं टाइम्स आफ इण्डिया (अंग्रेजी)में क्रमशः दिनांक 25.09.2018 को आम जनता से पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किये गये थे तथा लोक–सुनवाई दिनांक 27.10.2018 को किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि विज्ञप्ति में उल्लिखित कार्यालयों (जिलाधिकारी कार्यालय, बाराबंकी, मुख्यालय उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, कार्यालय जिला पंचायत, जिला उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र) में प्राप्त नहीं हुए हैं। मैसर्स स्टील सेल्स, श्री अनिल कुमार टिकरीवाल द्वारा उक्त स्थल पर घाघरा नदी से बालू खनन सम्बन्धी प्रेषित आवेदन पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लोक सुनवाई अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),बाराबंकी की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर उनके अनुमति से प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई की कार्यवाही का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी, डा0 राम करन ने लोकसुनवाई मे उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं आम जन मानस का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर लोक–सुनवाई की प्रकिया अपनायी जानी आवश्यक है। लोकसुनवाई प्रकिया सम्पादित किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)बाराबंकी की अध्यक्षता मे कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा नामित किया गया जिसकी लोकसुनावाई तिथि दिनांक 27.10.2018 को नियत की गयी। परियोजना का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेएयर से अधिक होने के कारण लोकसुनवाई की प्रक्रिया की जानी होती है जिसमे उक्त परियोजना के खण्ड–01 का कुल क्षेत्रफल 12.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है। परियोजना का टी0ओ0आर0 राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उ0प्र0 (स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट अथारिटी, उ0 प्र0) के पत्र सं0 277/पर्या/एस.ई.ए.सी./4292/2018, दिनांक 11.07.2018 द्वारा उक्त प्रस्तावित स्थल पर बालू खनन हेतु जारी है ।

राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रस्ताव एवं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डालने हेतु परियोजना प्रतावक के पर्यावणीय सलाहकार श्री शमशाद अहमद परामर्श दाता, मैसर्स परामर्श (सर्विसिंग इन्वायरोमेंन्ट एण्ड डेवेलपमेंट) गोमती नगर, लखनऊ को आमंत्रित किया गया। आवेदक के पर्यावणीय सलाहकार द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों एवं उपस्थित नगरिको का अभिन्नदन करते हुये प्रस्तावित परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से निम्नवत् प्रकाश डाला गयाः–

1. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि श्री अनिल कुमार टिकरीवाल, स्टेशन रोड, बहराइच जनपद–बहराइच जनपद–बहराइच द्वारा ग्राम–उधिया, गाटा संख्या–498 झ, खण्ड–01,तहसील–रामनगर, जनपद–बाराबंकी (कुल क्षेत्रफल 12.0 हेक्टेयर) में घाघरा नदी से 216000 घन मी0 प्रतिवर्ष की दर से बालू का खनन किया जायेगा। बालू खनन पट्टे के लीज का क्षेत्रफल अक्षांश 27°18′17.97′′′छ एवं देशान्तर 81°24′27.91′′ के मध्य स्थित है।
2. घाघरा नदी से बालू का खनन अधिकतम 2.7 मीटर की गहराई तक श्रमिकों/अर्द्ध मशीनीकृत (बार स्क्रपेर और लोडर के उपयोग द्वारा) किया जायेगा। खनन का कार्य केवल दिन में ही किया जायेगा तथा वर्षा काल में खनन का कार्य पूरी तरह से बन्द रखा जायेगा। बालू खनन का कार्य इस प्रकार से किया जायेगा, जिससे कि भूगर्भ जल स्तर प्रभावित न हो। बालू खनन का कार्य नदी के किनारे सेफ जोन (समुचित क्षेत्रफल में) छोड़कर किया जायेगा तथा खनन का कार्य नदी के बहाव क्षेत्र से ही किया जायेगा। नदी के किनारे आवागमन हेतु रैम्प की व्यवस्था की जायेगी।
3. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बालू खनन में जल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु खनन एवं उसके समीपस्थ क्षेत्र में धूल के कण को उड़ने से रोकने के लिए निरन्तर जल का छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन कार्य में संलग्न कार्मिकों की कुल संख्या लगभग 20 होगी, जिसके लिए शुद्ध

जल की आपूर्ति किया जायेगा। खनन के आस–पास के क्षेत्र में धूल के कण को रोकने हेतु नदी के जल से नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन कार्य में संलग्न कार्मिकों हेतु अस्थायी शौचालय की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित की जायेगी।

4. आवेदक के प्रतिनिधि ने परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस–पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य के लिए राजस्व वसूली में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि, अवैज्ञानिक ढंग से बालू खनन किये जाने से जगह–जगह गड्ढे हो जाते हैं तथा जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। भू–जल स्तर में भी गिरावट होती है तथा बालू का आवश्यकता से अधिक दोहन होता है।
5. परियोजना से निर्माण सामग्री जैसे रेत की आपूर्ति में सुधार होगा इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसेः– सड़कों, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
6. आवेदक प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बालू खनन गतिविधियों जैसेः–लोडिंग, अनलोडिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन से परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए नियमित रूप से जमीन को नम करने हेतु पानी का छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन क्षेत्र तक सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की जायेगी। बालू खनन कार्य बाल श्रमिकों द्वारा नहीं किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर त्रिज्यक दूरी के अन्दर कोई भी संरक्षित वन क्षेत्र/बर्ड सेन्चुरी आदि स्थित नहीं है।
7. परियोजना स्थल पर ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी समस्या को नियंत्रित करने हेतु अर्थ मूविंग मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का उपयोग एवं समुचित रख–रखाव किया जायेगा। वाहनों द्वारा हार्न का प्रयोग कम से कम किया जायेगा। पुराने और खराब हो चुके वाहनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा रात में बालू के ढुलाई का कार्य नहीं किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण की रोक–थाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका विकसित की जायेगी।
8. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उ0प्र0(स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट अथारिटी, उ0 प्र0) के पत्र सं0 277/पर्या/एस.ई.ए.सी./4292/2018, दिनांक 11.07.2018 द्वारा उक्त प्रस्तावित स्थल पर बालू खनन हेतु जारी टर्म्स आफ रिफरेन्सेज में आरोपित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
9. आवेदक द्वारा खनन के समय खान अधिनियम, 1952, खान एवं खनिज(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957, माइनर मिनरल कन्सेशन नियम, 1963 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अनुपालन किया जायेगा।
10. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वैज्ञानिक ढंग से बालू खनन किये जाने से नदी के चैनल का नियंत्रण होगा, नदी के किनारों का भू–क्षरण नहीं होगा, आस–पास के कृषि भूमि के डूबने की सम्भावना कम होगी, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण संरचनाओं हेतु कच्ची सामग्री के रूप में बालू उपलब्ध होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ–साथ क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तत्पश्चात अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),बाराबंकी द्वारा बताया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 25.0 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानी होती है जिसमे उक्त परियोजना के खण्ड–1 का कुल क्षेत्रफल 12.0 हेक्टेयर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा गाइड लाइन का कडाई से पालन करते हुए अपने क्षेत्र को चिन्हित कर अर्द्ध मशीनीकृत पद्यति से स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खनन किया जाय, किसी भी दशा में पर्यावरण नियमो का उल्लघंन नही किया जाय। अपने सम्बोधन के अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी कहा गया कि उपस्थिति जन समुदाय/ग्रामीणो से यह भी कहा कि अपने अन्तकरण की शंका को व्यक्त करे जिससे उसका निस्कारण किया जा सके।प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मैसर्स स्टील सेल्स, श्री अनिल कुमार टिकरीवाल, स्टेशन रोड, बहराइच जनपद–बहराइच द्वारा ग्राम–उधिया, गाटा संख्या–498 झ, खण्ड–1,तहसील–रामनगर, जनपद–बाराबंकी (कुल क्षेत्रफल 12.0 हेक्टेयर) में घाघरा नदी से 2,16,000 घनमी0 प्रतिवर्ष बालू खनन बालू का खनन किया जाना है। आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाले जाने के पश्चात् लोक सुनवाई में प्रतिभाग कर रहे जन समुदाय द्वारा परियोजना से आस–पास के विभिन्न पर्यावर्णीय घटकों के उपर पडने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं तथा उसके निराकरण हेतु आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताये गये उपायों का विवरण निम्नवत है :–

प्रश्न–1 श्री गुरू पुत्र श्री नत्था ग्राम–हेतमापुर रामनगर बाराबंकी द्वारा प्रश्न उठाया कि बालू खनन से नदी गहरी होती जा रही है और किनारे की कृषि योग्य भूमि ऊसर होती जा रही है। नदी के किनारे कटान होने के कारण भूमि नदी में विलीन होती जा रही है,उक्त के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि श्री शमशाद अहमद ने अवगत कराया कि बालू का खनन वैज्ञानिक ढंग से किया जायेगा तथा बालू का खनन नदी के बहाव क्षेत्र से ही व दोनों किनारे समुचित सेफ एरिया छोड़कर किया जायेगा। इससे मिट्टी का कटान नहीं होगा। भू–जल स्तर में गिरावट न हो, इसके लिए अधिक गहराई में बालू खनन नहीं किया जायेगा।

प्रश्न–2 श्री महन्त उदित नारायण दास ग्राम–हेतमापुर रामनगर बाराबंकी द्वारा परियोजना से क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की बात कही गयी ।

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा श्री उदित नारायण जी के द्वारा परियोजना से लाभ विषय पर आभार व्यक्त किया गया।

प्रश्न–3 अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की सम्भावना व्यक्त की गयी तथा उनके द्वारा यह प्रश्न किया गया कि इसके लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसके लिये क्या उपाय किये जायेगें।

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि श्री शमशाद अहमद ने अवगत कराया कि वाहनों का उचित ढंग से मेनटेनेस किया जायेगा तथा सभी वाहनों को कवर्ड रखा जायेगा तथा जल छिड़काव हेतु स्थायी रूप से 02 नग वॉटर–टैंकर की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न–4 क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा प्रस्तावक से बालू के लोडिंग अनलोडिंग में प्रयुक्त वाहनो द्वारा पी0यू0सी0 सर्टिफाइड वाहनों का ही प्रयोग किये जाने हेतु आपेक्षा कि गयी, जिनमे 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनो का प्रयोग कदापि न किया जाये। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन्स के अनुसार वृक्षा रोपण का कार्य कराया जाय। आस–पास के ग्रामीणो के स्वास्थ का परीक्षण,एवं क्षतिग्रस्त सडको की मरम्मत का कार्य भी कराया जाये।

उत्तर– लोक सुनवाई में उपस्थित प्रस्तावको द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाये गये सभी बिन्दुओ पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्थ किया गया ।

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित आम जनों द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये, लोक सुनवाई हेतु गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना के संचालन से पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक क्रियान्वयन की शर्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विचार करने की शर्त के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है:–

1. परियोजना स्थल/नदी के किनारे किसी भी प्रकार के श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
2. नदी के किनारे खाना बनाने व लकड़ी जलाने जैसी गतिविधियां नहीं की जायेंगी।
3. खनन से पूर्व श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिससे उन्हें काम करने के तरीकों के बारे में जागरूक बनाया जा सके।
4. किसी भी आपात कालीन स्थिति में श्रमिकों को चोट पहुँचने की स्थिति से निपटने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के रूप में फर्स्ट एड बाक्स की व्यवस्था परियोजना स्थल पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रत्येक तीन माह में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा तथा आसपास स्थित स्कूलो में वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
5. परियोजना स्थल के समीप पेडों को काटने, झाड़ियों और जड़ी–बूटी आदि को जड़ सहित उखाड़ने नहीं दिया जायेगा।
6. बालू को ले जाने में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के संचालन से जनित ध्वनि की सीमा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखे जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।
7. बालू के लोडिग में प्रयुक्त वाहनो को ढक कर ले जाया जाये। पी0यू0सी0 सर्टीफाइड वाहनो का ही प्रयोग किया जाये। पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के वाहनो का प्रयोग न किया जाये।
8. नदी के किनारे भू–क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाइन के अनुसार छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका विकसित की जायेगी।
9. समय–समय पर अनुश्रवण अनुसूची के अनुसार नदी की जल गुणता की जांच, परिवेशीय ध्वनि स्तर एवं परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुमोदित प्रयोगशाला से कराया जायेगा तथा पारिस्थितिकीय तन्त्र का अपघटन न हो, इसके लिए समुचित उपाय किये जाये।

पर्यावरण की निगरानी हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन दल का गठन आवेदक द्वारा किया जायेगा, जो पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के नियंत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा तथा आवश्यकतानुसार बाहरी पर्यावरण एजेन्सियों से भी सलाह लिया जायेगा।

10. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उ0प्र0(स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट अथारिटी, उ0 प्र0) के पत्र सं0 277/पर्या/एस.ई.ए.सी./4292/2018, दिनांक 11.07.2018 द्वारा उक्त प्रस्तावित स्थल पर बालू खनन हेतु जारी टर्म्स आफ रिफरेन्सेज में आरोपित समस्त शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. आवेदक द्वारा खनन के समय खान अधिनियम, 1952, खान एवं खनिज(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957, माइनर मिनरल कन्सेशन नियम, 1963 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अनुपालन किया जायेगा।

अन्त में के क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ डा0 राम करन द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व) बाराबंकी,एवं उपस्थित जन समुदाये एवं अतिथियो का लोक सुनवायी को सुचारू रूप से सम्पादित करने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई प्रक्रिया समाप्त करने की घोषणा की गयी।

1. लोक सुनवायी के समय उपस्थित नागरिकों/पदाधिकारियों/पेनल सदस्यों/आमन्त्रित सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक –01 के रूप में संलग्न हैं।
2. लोक सुनवायी के वीडियो की सीडी संलग्नक –02 के रूप में संलग्न है।
3. दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कतरन संलग्नक –03 के रूप में संलग्न है।

03/11/2018

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

3.11.18

(संदीप कुमार गुप्ता)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बाराबंकी

3.11.18

जिलाधिकारी
बाराबंकी

मैसर्स स्टील सेल्स अनिल कुमार टेकरीवाल द्वारा गाटा सं0–498–झ, खण्ड–01 (12 हेक्टेयर) ग्राम–उधिया, तहसील–रामनगर, जिला–बाराबंकी में साधारण बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव की लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :

स्थान – ग्राम–उधिया, तहसील–रामनगर, जिला– बाराबंकी

दिनॉक– 27.10.2018

समय : 11.00 पूर्वान्ह

क0 सं0	नाम व पद नाम	विभाग का नाम/पता	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1	संदीप कुमार गुप्ता अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी	9454417611	[signature]
2	डा0 राम करन, क्षे0 अधि0	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	7839891841	[signature]
3	चन्द्रेश कुमार, सहा. पर्या. अभियन्ता	उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	7839891814	[signature]
4	क्षितीश पटेल, वैज्ञा0 सहा0	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ	7839891848	[signature]
	आलमगीर सिंह	अ0 ख0 अधि. वि0प्र0 बाराबंकी	9838200356	[signature]
5	अंकुर गौतम, अनु. सहा0	उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	7839891836	[signature]
6	आशीष कुमार सिंह पट्टा धारक	खण्ड-तीन	9450742262	[signature]
7	आलोक मिश्र	असवा	8756676666	Alok
8	[illegible]	[illegible]	7860260000	[signature]
9	विजय कुमार	टेटमापुर	9956000050	विजय
10	गनेश प्रसाद	देशीलालिकेह	8392065494	गनेश प्रसाद
11	शमशेर यादव	व्यापार	9415600099	[signature]
12	प्रहलाद यादव	व्यापार	9919429215	[signature]
13	बलराम यादव	व्यापार	11	Balram yadav
14	सर्वेश कुमार	व्यापार	9807623145	[signature]
15	आशीष कुमार मौर्य	व्यापार	9648919648	[signature]
16	लालताप्रसाद	खान अधिकारी	9415911173	[signature]

–	झब्बू लाल शर्मा	ग्राम जं. तिवारी	9838979422	[illegible]
17	विपिन मिश्रा	लखनऊ	9839162431	[illegible]
18	मौसी लाल पाल	बाराबंकी	7607113466	N.L. Pal
19	आदर्श वर्मा	बाराबंकी	79051189	Rosh
20	अमर कान्त पाण्डेय	बाराबंकी	7524921111	[illegible]
21	अरुण कुमार	बाराबंकी	9984180717	[illegible]
22	राजकुमार	बाराबंकी हेतमापुर	945093279	[illegible]
23	विमल कुमार	हेतमापुर	8707629909	विमल कुमार
24	रामनिवास मौर्य	हेतमापुर	8793008352	[illegible]
25	विजय कुमार	औतीपुर	9956000050	विजय कुमार
26	अखिलेश कुमार	चन्देला	9451821122	अखिलेश कुमार
27	गनेश प्रसाद	देवीगंज	6292065494	गनेश प्रसाद
28	मो. इकबाल मेंहदी	दलसरपुर	8090244535	[illegible]
29	Mohammad Arif Ansari	Paramarsh	8545852323	[illegible]
30	Dr. Santosh Kumar	Global Environment & Mining Services	9838851005	[illegible]
31	Dr. Vikas Gupta	"	9838510100	[illegible]
32	Shamshad Ahmad	Paramarsh (Consultant)	9696786222	[illegible]
33	B.M.S Negi	E.N.V DAS (I) Pvt Ltd (Consultant)	9454890694	[illegible]
34	Dewanshu Kr	ENV DAS (I) Pvt Ltd (Consultant)	7800673666	[illegible]
35	Indra Singh	Paramarsh	9415022493	[illegible]
36	Asgrool Hasan	Paramarsh	7052233890	[illegible]
37	गुरु	हेतमापुर	9519526795	गुरु
38	महमूद हसन (प्रधान)	हेतमापुर (अहमदपुर)	9695742899	महमूद हसन